


21/6/17

वकील शर्मा एवं पेशकार सरकार उपस्थित। शर्मा ने प्राचीन पञ्च के निवेदन किन्तु कि ग्राम मसुदा द्वितीय स्थिति विवाहित आराजी खसरा नम्बर 3463/1, 3472/2, 3476/2, 3477/2, 3471 पर शर्मा का कब्जा करते अपने पिता के जीवन काल से लगभग 30 वर्षों से शर्मा के पिता व सुदुरहित के कब्जा करते कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। कबल आराजीयात सिमाय चक्र दर्ज लेकर सरकारी जमीन है इस कारण 91 लेण्ड रेकॉर्ड एन्ट की कार्रवाई की गई। और समय समय पर ज़ुमनि कडा करते आया है वकील शर्मा एवं पेशकार सरकार

P-T-0

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद पत्र का निस्तारण बैरिटर पर होना है। उर्वी सरकारी सिवायचक्र ग्रामियों पर अतिक्रमि रहा है। विवादित ग्रामिया सरकारी होकर सिवायचक्र छोड़ दल है। अतः प्रथम पत्र उर्वी स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जा रहा है। मिसल फैसल शुभार होकर नगर से कम हो। </p> <p style="text-align: right;">  <u>उपखण्ड अधिकारी</u> <u>मसूदा (अजमेर)</u> </p>	

